

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला(उत्तरकाशी)

पत्रांक- २१९१/ १२-१(१) पुरोला, दिनांक, २५/४/ २०१५

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पुरोला ।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हुड़ोली-बिनगदेरा मल्ला मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव ।


सन्दर्भ:- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक २१५५/ १२-१(१) दिनांक १७ अप्रैल २०१५। (छाया प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के अनुसार हस्तान्तरित होने वाली कुल वन भूमि का क्षेत्रफल 1.034 है० है जबकि आपके द्वारा अपलोड किये गये प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल 1.03401 है० दर्शाया गया है। कृपया उक्त भिन्नता को स्पष्ट करते हुए अपलोड किये गये प्रस्ताव में संशोधन करते हुए एवं वन संरक्षक महोदय के संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या ४ में उल्लिखित एच०आर०ए० प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर की गयी बैठक की तिथि का अंकन कर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करे जिससे संदर्भित पत्र में उठाये गये अपत्तियों के सम्बन्ध में इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय


उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।



पत्रांक
सेवा में

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून
2155 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, अप्रैल 17, 2015

प्रभागीय वनाधिकारी,

टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

विषय— जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हुडोली-दिनगढ़ेरा मल्ला मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव।

सन्दर्भ— आपका पत्रांक 1924 / 12-1 दिनांक 27-03-2015 इस कार्यालय का पत्रांक 1974 दिनांक 27-3-2015 FP/UK/ ROAD/ 9620/ 2015

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव में पायी गई कमियों का उल्लेख करते हुए उनका निराकरण करने एवं निधारित चैक सिस्ट के अनुसार प्रस्ताव औन लाइन प्रेषित करने हेतु आपको औन लाइन दिनांक 27 मार्च 2015 को प्रेषित किये गये थे। किन्तु आपके द्वारा इस कार्यालय के उक्त पत्र का संज्ञान न लेकर इस कार्यालय को प्रस्ताव पुनः ई0डॉ०एस० के माध्यम से दिनांक 10-4-2015 को प्रेषित किये गये हैं तथा ई0डॉ०एस० में इस कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति का प्रतिउत्तर पत्र अपलोड करने संबंधी टिप्पणी करते हुए उक्त पत्र अपलोड नहीं किया गया है।

इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्ति एवं निम्न उल्लिखित आपत्तियों का भी संज्ञान लेकर औन लाइन प्रस्ताव शीघ्र भेजें।

आग-II (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest) प्रपत्र में दी गयी सूचना अस्पष्ट है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

बिन्दु-2 में वांछित भूमि वी विधिक स्थिति में आपके स्तर से 0.27 हेक्टेयर वन भूमि तथा 0.764 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है। आरक्षित वन भूमि पुरोला रेज के अन्तर्गत धामकोटी ब्लॉक में वांछित सूचित की गई है, तथा मार्ग की लम्बाई 300मी० निर्माण हेतु प्रस्तावित है, के संबंध में बोट का नाम तथा ब्लॉक कम्पार्टमेंट नं० का उल्लेख भी किया जाय।

बिन्दु संख्या -5 में working plan prescription for the forest land proposed for diversion- आपके स्तर से सूचना में 'नो डाटा' का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है।

अतः प्रभाग की प्रबलित प्रबन्ध योजना में उक्त ब्लॉक/ कम्पार्टमेंट नम्बर किस वर्किंग सर्किल में आता है तथा प्रबन्ध योजना के दिशा-निर्देश वया है? के अनुसार टिप्पणी की जानी है। उक्त मार्ग के निर्माण किये जाने से वन पारिस्थितिकी के संबंध में टिप्पणी देते हुए उक्त कक्ष में वनवर्धन कार्य आदि के संबंध में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की जानी है तथा मार्ग निर्माण से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के उपचार उपाय के संबंध में अधिकृत दिया जाय।

2— स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जो अंग्रेजी में दी जानी है, के अन्त में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा अपना अधिकृत यथारिति पर देते हुए संस्तुति नहीं की गई है तथा हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (प्रभागीय वनाधिकारी) का नाम भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सही सूचना अपलोड करें।

3—प्रारूप —3 का प्रथम पृष्ठ अपलोड नहीं किया गया है। अन्त में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम "का उल्लेख नहीं किया गया है।

4—एफ0आर0ए० प्रभाग पत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक किस तिथि को आयोजित की गई है, का उल्लेख नहीं किया गया है।

आप यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार तथा नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित चैक सिस्ट के अनुसार ही सही-सही प्रस्ताव अपलोड किया जाय। प्रभाग स्तर पर प्रस्ताव सही-सही अपलोड न किये जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब एवं पत्रांकार को बढ़ावा मिल रहा है।

आप उपरोक्तानुसार आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रस्ताव औन लाइन शीघ्र भेजें एवं वी गई कार्यवाही की हार्ड कॉपी फैक्स के माध्यम से भी उपलब्ध करायें।

मवदीय

(आर०क०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।